

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में
सी.एम.पी. संख्या 432/2019

बिक्रम सिंह

... याचिकाकर्ता

बनाम

स्वर्ण सिंह

... उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री माधव प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से : कोई नहीं

03/दिनांक 20 सितंबर, 2019

यह तत्काल सिविल विविध रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 4406 /2017 को मूल फ़ाइल में पुनर्बहाली के लिए दायर की गई है, जिसे दिनांक 15.02.2019 के आदेश का पालन न करने के कारण खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, आयुक्त, सिंहभूम, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2017 की प्रमाणित प्रति संबंधित स्टाम्प रिपोर्टिंग को इस कारण से समर्पित नहीं किया जा सका क्योंकि वह निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं हो सका। अब उक्त आदेश की आपूर्ति की जा चुकी है और वह प्राप्त हो गया है। इसलिए, रिट याचिका को उसकी मूल फ़ाइल में बहाल किया जाए, ऐसा न होने पर याचिकाकर्ता को अपूरणीय हानि और क्षति होगी।

यह न्यायालय, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुनने के बाद और याचिका में दिए गए कारण पर विचार करने के बाद, तत्काल सिविल विविध याचिका में की गई प्रार्थना को स्वीकार करना उचित और युक्तियुक्त समझता है।

इसके मद्देनजर, रिट याचिका डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 4406 /2017 को मूल फ़ाइल में बहाल किया जाता है। तदनुसार, तत्काल सिविल विविध आवेदन की प्रार्थना स्वीकार की जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया.)

सौरभ